

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

प्रलिस के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, केंद्रीय जाँच ब्यूरो, बैंकग वनयनन अधनयनन

मेन्स के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संबंघत मुददे

चर्चा में क्यों?

चंदा कोचर (ICICI बैंक की पूरव CEO) कॉर्पोरेट जगत में **धोखाधड़ी संबंधी खतरे के सचेतक** के रूप में शामिल हैं।

- **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)** ने आरोप लगाया है क ICICI बैंक ने **बैंकग वनयनन अधनयनन**, RBI के दशान-नरदेशों और बैंक की क्रेडिट नीतिका उलंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तत वीडयोक्कन समूह की कंपनयों को 3,250 करोड़ रुपए का क्रेडिट स्वीकृत कया था।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

परचयः

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस नयनों, प्रथाओं और प्रक्रयाओं की प्रणाली को संदरभत करता है, इसके द्वारा एक कंपनी को नरदेशत और नयंतरत कया जाता है, जो यह सुनश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमका नभाता है क वयवसाय नैतक रूप से तथा उनके हतधारकों के सर्वोत्तम हत में चलाए जाते हैं।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रमुख जममेदारयों में से एक **कॉर्पोरेट लालच को रोकना तथा यह सुनश्चित करना है क वयवसायों को उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से संचालत कया जाए**।
- मजबूत नैतक मानकों को लागू करके तथा वयक्तयों को उनके कार्यों के लय उत्तरदायी बनाकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लालच को रोकने और शेयरधारकों, ग्राहकों एवं व्यापक समुदाय के हतों की रक्षा करने में मदद कर सकता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सद्धांतः

- नषपक्षताः
 - नदशक मंडल को **शेयरधारकों, करमचारयों, वक्रेताओं और समुदायों के साथ उचित एवं समान वचार से वयवहार** करना चाहय।
- पारदर्शताः
 - बोर्ड को वततीय प्रदर्शन, हत संबंधी मतभेद और शेयरधारकों एवं अन्य हतधारकों को ज़ोखम जैसी स्थतके बारे में **समय पर सटीक तथा स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहय**।
- ज़ोखम प्रबंधनः
 - बोर्ड और प्रबंधन को सभी प्रकार के **ज़ोखमों का नरधारण तथा उन्हें नयंतरत करना चाहय**। उन्हें प्रबंधत करने के लय संबद्ध सफारशों पर कार्रवाई करनी चाहय। उन्हें सभी संबंधत पक्षों को ज़ोखमों की मौजूदगी तथा स्थतके बारे में सूचित करना चाहय।
- जममेदारीः
 - **बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों और प्रबंधन गतवधयों की नगरानी के लय जममेदार है**।
 - इसे कंपनी की प्रगत और प्रदर्शन के बारे में पता होना चाहय, साथ ही उसका समर्थन करना चाहय। इसकी जममेदारी में CEO की भरती और नयुक्त करना भी शामिल है। इसे कसी कंपनी एवं उसके नवशकों के सर्वोत्तम हत में कार्य करना चाहय।
- जवाबदेहीः
 - बोर्ड को **कंपनी की गतवधयों के उद्देश्य और उसके आचरण के परणामों की व्याख्या करनी चाहय**। बोर्ड एवं कंपनी का नेतृत्व कंपनी की क्षमता एवं प्रदर्शन के आकलन के लय जवाबदेह है। इसे शेयरधारकों के महत्त्व के मुदों को संप्रेषत करना चाहय।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में नैतिक मुद्दे:

- **व्यक्तिगत रुचि के बीच मतभेद:**
 - शेयरधारकों की कीमत पर संभावित रूप से व्यक्तिगत रुचि को समृद्ध करने वाले प्रबंधकों की चुनौती एक बड़ी समस्या है **हाल ही की एक घटना में** ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी चंदा कोचर ने अपने पतन के लिये एक व्यापार के हिससे के रूप में वीडियोकॉन कंपनी को ऋण स्वीकृत किया।
- **कमज़ोर बोर्ड:**
 - अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता का अभाव इन बोर्डों की कमज़ोरी का एक प्रमुख वषिय रहा है। शेयरधारकों के व्यापक हितों के मामले में बोर्ड के प्रदर्शन पर सवाल उठते रहे हैं।
- **स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण:**
 - परिवार द्वारा संचालित कंपनियों के मामले में भारत की कुछ शीर्ष कंपनियों सहित अधिकांश कंपनियों में स्वामित्व और प्रबंधन को अलग करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- **स्वतंत्र नदिशक:**
 - स्वतंत्र नदिशक पक्षपातपूर्ण होते हैं और प्रमोटरों की अनैतिक प्रथाओं की जाँच करने में सक्षम नहीं होते हैं।

संबंधित पहलें

- भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) एवं **भारतीय प्रतभुति और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** पर है। उदारीकरण के बाद वर्ष 1990 के दशक में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है।
- सेबी खंड 49 के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नगिरानी और नयिमन करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** बड़े हुए और नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग एवं पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये औपचारिक संरचना प्रदान करता है।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार:

- **विविध बोर्ड बेहतर बोर्ड:**
 - इस संदर्भ में व्यापक 'विविधता' है, जिसमें लिंग, जातीयता, कौशल और अनुभव शामिल हैं।
- **मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीतियाँ:**
 - बेहतर नरिणय लेने के लिये प्रभावी और मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीतियों को अपनाना क्योंकि यह सभी नगिमों के सामने आने वाले **रसिक-रविर्द ट्रेड-ऑफ** के मामले में गहरी अंतरदृष्टि विकसित करता है।
- **प्रभावी शासन अवसंरचना:**
 - चूँकि अंततः बोर्ड किसी संगठन के सभी कार्यों और नरिणयों के लिये ज़िम्मेदार होता है, इसलिये संगठनात्मक व्यवहार को नरिदेशित करने के लिये वशिषिट नीतियों की आवश्यकता होगी।
 - यह सुनश्चित करने के लिये **बोर्ड और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से नरिधारित किया गया है**, बोर्ड के लिये प्रतनिधिमंडलों के संबंध में नीतियाँ विकसित करना वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:**
 - बोर्डों को मूल्यांकन में सामने आई कमज़ोरियों को दूर करके अपनी शासन प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिये।
- **संवाद:**
 - बोर्ड के साथ शेयरधारकों के संवाद को सुगम बनाना महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके साथ शेयरधारक किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. सतयम कांड (2009) के परपिक्ष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनश्चित करने के लिये कॉर्पोरेट प्रशासन में लाए गए परवितर्नों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं? (2016)

स्रोत: लाइव मति

